न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भागीरथ बनाम रामफुल वगै0 मु0 नं0 20/22 प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/01/23	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण बुजुर्ग पति– पत्नी तथा अप्रार्थीगण के माता–पिता है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पुत्रगण है जो कि वाकै ग्राम बाडोली तहसील राहूवास जिला दौसा के निवासीयान है। अप्रार्थी संख्या 1 रामफुल प्रार्थीगण को ज्येष्ठ पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रकाश प्रार्थीगण का अनुज पुत्र है तथा प्रार्थीगण वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 के साथ निवास करते है। प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं0 148/92 रकबा 10 बिस्वा हिस्सा 1274/1512, खसरा नं0 16 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 93 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 24 रकबा 11 बीघा हिस्सा 1/8, खसरा नं0 141/28 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 150/92 रकबा 07 बिस्वा एवं खसरा नं0 156/106 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम बाडोली तहसील राहूवास जिला दौसा मे स्थित है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने जबरन कब्जा कर रखा है तथा फसल काश्त कर रहा है एवं प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी की भूमि से जबरन बेदखल कर रखा है। प्रार्थीगण वर्तमान में अपने ज्येष्ठ पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के साथ निवास करते है और उसकी देखभाल कर रहे है। प्रार्थीगण के पास अपना जीवन यापन करने के लिए अन्य कोई संसाधन नही है। प्रार्थीगण बुर्जुग पति पत्नी है जो कि ज्यादातर बीमार रहते है और अपना जीवन खर्च चलाने में असमर्थ है। प्रार्थीगण की आराजी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा कब्ज करने एवं प्रार्थीगण के साथ आये दिन मारपीट करने पर प्रार्थीगण को अपने ज्येष्ठ पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के साथ रहना पड रहा है अप्रार्थी संख्या 1 के परिवार मे उसकी पत्नी व बच्चे होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का भरण पोषण करने मे असक्षम है। अप्रार्थी संख्या 1 मजदुरी करके अपने व अपने	

परिवारजन बुर्जुग माता पिता की सेवा करता हैएवं उनकी दवाई आदि का खर्चा उठाता है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के पास आय कस सिमित संसाधन होने के कारण अपने बुर्जुग माता पिता व परिवार का भरण पोष करने मे सक्षम नही है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थीगण की पूरी भूमि पर कब्जा करके उस पर फसल काश्त करता है तथा उसकी आमदनी भी अपने पास रखता है। प्रार्थीगण जो कि बुर्जुग है और अपना जीवन निर्वाह करने मे असमर्थ होने के कारण प्रार्थीगण को अपने भरण पोषण तथा दवाईयो के खर्च हेतू लगभग 10,000/– रूपये अक्षरे दस हजार रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र श्री वरूण गौड एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 2 बावजुद तामील अनुपस्थित है। तत्पश्चात प्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु होना जाहीर किया तथा प्रार्थी संख्या 2 की ओर से नाम हजफ करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कहां कि प्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 1 के पास रहता है तथा उसका सम्पूर्ण खर्चा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही वहन किया जा रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी की सम्पूर्ण आराजी पर जबरन कब्जा कर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी बुर्जुग आदमी है उसके पास कोई आमदनी का संसाधन नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 2 से करीबन 10,000/– रूपये गुजारा भत्ता दिलवाया जावे।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः प्रार्थी संख्या 1 को गुजारा भत्ता व भरण पोषण, दवाई आदि के लिए अप्रार्थी संख्या 2 को आदेश दिये जाते है कि वह प्रार्थी संख्या 1 भागीरथ को भरण पोषण हेतू गुजारा भत्ता 1,000/– रूपये प्रतिमाह अदा करता रहे।

निर्णय आज दिनांक 23/01/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पचवारा (दौसा)